न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12 / 2021 **दायर दिनांकः 15.07.2021**

उनवान

1. गिर्राज कुमार पुत्र गंगाधर जाति धाकड़
2. योगेन्द्र कुमार पुत्र गंगाधर जाति धाकड़ निवासीगण बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़
2. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़
3. मुकेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासीगण बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

निर्णय

दिनाकः— 14.05.2025

अभिभाषक प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की ग्राम कोटड़ा तहसील अटरू में खाता संख्या 126 की ख.नं. 14, 163, 44, 5, 78, 79, 80 कुल 7 किता की 13.26 हेक्टर भूमि स्थित है। जिस पर सदैव से प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 5 जो ग्राम बहादुरगंज की आबादी के पास स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण के जाने के रास्ते के आस—पास मकान बने हुये है। प्रार्थीगण के अपने खेत ख.नं. 5 पर जाने का रास्ता सरकारी भूमि ख.नं. 8 में होकर है। इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत पर जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण सदैव से अपने खेत पर खसरा नं. 8 में होकर आते जाते रहे है। उक्त रास्ता आम रास्ता है। अप्रार्थीगण ने जबरन दादागिरी के दम पर प्रार्थीगण के रास्ते में पत्थर का कोट कर दिया। प्रार्थीगण ने मना

किया तो अप्रार्थीगण झगड़ा करने पर आमादा हुये। उक्त भूमि सरकारी खाते में दर्ज होने के कारण एवं रास्ता सार्वजनिक होने के कारण उक्त रास्ते को खुलासा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा गांव में कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 5 पर जाने के उक्त रास्ते को खुलासा करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर उक्त रास्ता खुलासा नही करवाया गया तो प्रार्थीगण अपने खेत पर नही आ जा सकेगें। जिससे प्रार्थीगण की भूमि पड़त रह जावेगी। जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते को अविलम्ब तहसीलदार साहब अटरू को मौके पर भेजकर रास्ता खुलासा किये जाने का आदेश प्रदान करें तथा उक्त रास्ते को 10 फुट चौड़ा नक्शे में दर्ज किया जावे। जिसका खर्चा प्रार्थीगण जमा करने को तैयार है। यदि अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में पक्का निर्माण कर ले तो उसे अप्रार्थीगण के खर्चे पर तुड़वाया जाकर रास्ता खुलासा करवाया जावे। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बहादुरगंज में प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 5 पर जाने के उक्त सार्वजनिक रास्ते को अविलम्ब तहसीलदार साहब अटरू को मौके पर भेजकर रास्ता खुलासा किये जाने का आदेश प्रदान करें तथा उक्त रास्ते को 10 फुट चौड़ा नक्शे में दर्ज किया जावे। जिसका खर्चा प्रार्थीगण जमा करने को तैयार है। यदि अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में पक्का निर्माण कर ले तो उसे अप्रार्थीगण के खर्चे पर तुड़वाया जाकर रास्ता खुलासा करवाया जावे।

. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित तथ्यों की जानकारी नहीं होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार लिखे गए हैं स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने खसरा न. 5 खेत गलत दर्ज किया है। प्रार्थीगण का अपने मकान के पीछे बाड़ा स्थित है। जिसमे अपने मकान में होकर रास्ता पूर्व से चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद न. 3 में वर्णित तथ्य गलत लिखे गए हैं इसलिए स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद न. 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद न. 5 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार लिखे गए हैं स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद न 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद न.

7 का जवाब वक्त बहस मौखिक निवेदन किया जायेगा। प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार नहीं है तथा निम्नलिखित विशेष विवरण पेश किए गए।

विशेष विवरण

प्रार्थीगण के मकान के एक तरफ नंदकिशोर का मकान है तथा दुसरी तरफ रामदयाल का मकान है। इन मकानों के पीछे इन तीनो के बाड़े स्थित चले आ रहे हैं। नंदकिशोर प्रार्थीगण एवं रामदयाल अपने बाड़ों में स्वयं के मकानों में होकर आते जाते रहे हैं। क्योंकि इन तीनो के मकानों के सामने आम रास्ता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के एक तरफ लालचन्द का खाली भूखण्ड है और दुसरी तरफ कन्हैयालाल गुर्जर का मकान है। इन तीनो के मकानों के सामने आम रास्ता है जिसमे होकर अप्रार्थीगण कन्हैयालाल व लालचन्द आते–जाते हैं । प्रार्थीगण ने वर्षों पुरानी रंजिश होने के कारण जानबूझकर तंग करने के उद्देश्य से अनर्गल तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण ने राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब को पक्षकार नहीं बनाया है इसके अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे पर खारिज फरमाने की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2025/1132 दिनांक 25.04.2025 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के खेत ग्राम कोटडा के ख0नं0 5 का रकबा 0.04 है0 में होकर जाने के लिए खसरा नं0 8 रकबा 0.59 है0 किस्म गै0मु0 खलियान में होकर रास्ता है। पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त गै0मु0 खलियान में अतिक्रमण कर प्रचलित रास्ते को बंद कर दिया था। वर्तमान में ख0नं0 5 रकबा 0.04 है0 तक पहुच मार्ग खुला हुआ है।

अभिभाषकगण की बहस सूनी गई तथा बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना जहॉ

(क). कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख). कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है। यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात समाधान हो जाता है कि–

i- यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और

ii- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन/मार्ग का अभाव सिद्व किया गया है।

पुनः पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बहस अभिभाषकगण, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र क्रमांक प 2 (63) राज. 9/2014 दिनांक 29/09/2014 के परिपत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया गया। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 5 तक पहुचने में कोई अवरोध नही है।

प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कोटडा के खसरा नं0 8 रकबा 0.59 है0 किस्म गै0मु0 खलियान में से होकर रास्ता चाहा गया है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक पः 2 (675) राज–3/10 जयपुर दिनांक 25.05.2011 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गै0मु0 खलियान प्रतिबंधित श्रेणी में आती है।

उपरोक्त विवेचन, विवरण व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपरोक्त वर्णित शर्तेः–

i- इस प्रकरण में आत्यांतिक आवश्यकता साबित नही होती है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए साबित होता है।

ii- इच्छित रास्ता अन्य खातेदार की जोत में से नही होकर गै0मु0 खलियान भूमि में से है तथा मौके पर रास्ता चालु होने के कारण वैकल्पिक मार्ग का अभाव भी साबित नही होता है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम व माल कोटडा पटवार हल्का चरडाना के खाता संख्या 126 ख0नं0 5 का रकबा 0.04 है0 आराजी के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीएक्ट0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां